

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

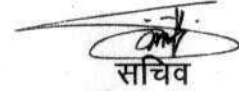
क्रमांक / प्रशा. / स्था. / ए- / 01 / 2015

भोपाल, दिनांक- 08/04/15

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में पूर्णकालिक विधि सलाहकार की सेवाएँ अनुबंध पर एक वर्ष के लिये निश्चित मानदेय रु. 40,000/- मासिक पर प्राप्त किये जाने हेतु सेवानिवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश (माननीय उच्च न्यायिक सेवा) के आवेदन निर्धारित तिथि 30.04.2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

विधि सलाहकार के कार्य का स्वरूप, सेवाशर्तें, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र/घोषणा पत्र मण्डल की वेबसाइट WWW.MPBSE.NIC.IN पर देखी जा सकती है।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0
भोपाल

आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्मतिथि :-
4. शैक्षणिक योग्यताएं :-
5. पता :-
6. अनुभव :-
7. सेवानिवृत्ति के समय पद:-
8. पी.पी. ओ. क्रमांक.....(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9. पता :-
10. मोबाइल / दूरभाष क्रमांक :-
11. ई मेल :-

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं.....पिता श्री.....प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैंने मण्डल की सेवा शर्तों कार्य स्वरूप, चयन प्रक्रिया को देखकर समझ लिया है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

विधि सलाहकार के चयन मापदण्ड एवं सेवाशर्तें/कार्य स्वरूप

चयन प्रक्रिया

1. चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से प्राप्त आवेदनों के आधार पर की जायेंगी।
2. म0प्र0न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त डी.जे./ए.डी.जे. के निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों का लाटरी के आधार पर चयन किया जावेगा।
3. आवेदन के साथ पी.पी.ओ की प्रति एवं मण्डल द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा आवेदन के तथ्यों को सत्यापित किया जाना होगा।

सेवा-शर्तें/कार्य का स्वरूप

1. इस प्रकार अनुबंधित विधि सलाहकार पर म0प्र0शासन के सिविल सेवा आचरण नियम लागू होंगे।
2. विधि सलाहकार को पूर्णकालिक तौर पर मण्डल कार्यालय में कार्यालयीन समय (10.30 से 5.30)पर उपस्थित रहकर कार्य दायित्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
3. विशेष परिस्थितियों/जटिल विषयों के संबंध में मण्डल के पक्ष में वरिष्ठ अभिभाषकों से सम्पर्क, विचार-विमर्श आदि कार्य किया जाना होगा।
4. मण्डल के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में मण्डल की ओर से प्रतिरक्षण बाबत समस्त कार्यवाहियां समय पर करायी जाना एवं इस हेतु सचिव के अनुमोदन से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने की जिम्मेदारी विधि सलाहकार की होगी।
5. चयन के उपरान्त न्यूनतम एक वर्ष के लिए कार्य अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा।
6. उभय पक्षों में से कोई एक पक्ष एक माह के पूर्व सूचना देकर पर्याप्त एवं सक्षम कारण दर्शित करते हुए अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।